डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 13/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआईसीएलएएस/सीएच/श्रीनगर/सीपी-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 13/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 05 जुलाई, 2022

सेवा	**:**	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**:**	**एएआईसीएलएएस**
हवाईअड्डा	**:**	**श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	**:**	**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

एएआईसीएलएएस की प्रस्तुति :

1. एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) भारत में विमानन कार्गो कारोबार करने वाली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एएआई ने अपने कार्गो विभाग को अलग करके 11 अगस्त, 2016 को इसे प्रकार्यात्मक रूप से और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र संगठन "एएआईसीएलएएस" के रूप में निगमित कर सम्मिलित किया है। वर्तमान में एएआईसीएलएएस श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे सहित सत्रह (17) प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सेवाएं प्रदान कर रही है।

2. मैसर्स एएआईसीएलएएस ने दिनांक 02.06.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि एएआईसीएलएएस श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रचालन कर रही है और नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी-16026/159/2015-ईआर के अनुसार एएआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू टैरिफ दरों पर 1 फरवरी, 2022 से अंतरदेशीय कार्गो सेवाएं तथा 28 मार्च, 2022 से अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाएं प्रदान कर रही है।

3. नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 05.11.2021 की अधिसूचना द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के संदर्भ में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को "प्रमुख हवाई अड्डे" के रूप में घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप मैसर्स एएआईसीएलएएस ने सूचित किया है कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो सेवाओं के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) तैयार किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4. इस बीच मैसर्स एएआईसीएलएएस ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित प्रचलित टैरिफ के आधार पर श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालनों के लिए अंतरिम टैरिफ की मांग की है।

प्राधिकरण का विश्लेषण :

5. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा सहायता प्राप्त इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारत में विमानन कार्गो कारोबार चला रही है। एएआईसीएलएएस ने श्रीनगर हवाईअड्डे पर अपने अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालनों के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 24.02.2022 के पत्र द्वारा बीसीएएस से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति सुरक्षा कार्यक्रम जारी करने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि, अर्थात 23.02.2027 तक, के लिए वैध है।

6. प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स एएआईसीएलएएस वर्तमान में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाएं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी-16026/159/2015–ईआर के अनुसार एएआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू टैरिफ दर से प्रदान कर रही है।

7. प्राधिकरण को एएआईसीएलएएस के अनुरोध की जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगेगा। प्राधिकरण अंतरिम व्यवस्था के रूप में मैसर्स एएआईसीएलएएस को नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी 16026/159/2015-ईआर द्वारा मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार 31.03.2023 तक या कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रचलित टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स एएआईसीएलएएस को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **31.03.2023** तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित कार्गो हैंडलिंग टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक –I** के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री अजय भारद्वाज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
एएआईसीएलएएस, एएआईसीएलएएस कॉमप्लेक्स, दिल्ली फ्लाईंग क्लब रोड़,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

<u>प्रतिलिपि,</u>

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003

2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003

3) हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर